भारत सरकार
रसायन और उर्वरक मंत्रालय
उर्वरक विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या **4280**

जिसका उत्तर शुक्रवार, 20 दिसंबर, 2024/29 अग्रहायण, 1946 (शक) को दिया जाना है।

अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में यूरिया और डीएपी की आपूर्ति

4280. श्री बिष्णु पद राय:

क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) नीम लेपित यूरिया और डीएपी के आयात पर प्रतिबंध लगाने के लिए अंडमान और निकोबार प्रशासन के व्यक्तियों और इस संबंध में आदेशों अथवा नीतिगत निर्णय की प्रति का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या यह सुनिश्चित करने के लिए कि फसल के उत्पादन में अत्यधिक गिरावट न आए, कोई वैकल्पिक तंत्र शुरू किया गया था और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) किसानों को अत्यधिक कीमतों पर उर्वरकों की कालाबाजारी को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(घ) द्वीपीय क्षेत्र में इस गतिरोध की स्थिति पैदा करने वालों की जिम्मेदारी तय करने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है?

उत्तर

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्रीमती अनुप्रिया पटेल)

(क): अंडमान और निकोबार प्रशासन ने सूचित किया है कि दिनांक 21/01/2021 की अधिसूचना संख्या डीए/पीकेवीवाई/18-1/एलएसी/2020-21/167 के माध्यम से, कार निकोबार और नन्कोव्री द्वीप समूह (कामोर्ता, कत्चल, तेरेस्सा, नन्कोव्री और चौरा) को कृषि रसायन मुक्त क्षेत्र घोषित करने के व्यापक दृष्टिकोण के साथ उपर्युक्त द्वीपों में कृषि पद्धतियों के लिए सभी कृषि-रसायनों की बिक्री/उपयोग/प्रवेश/भंडारण पर एकसमान प्रतिबंध लगाया गया है ताकि कार निकोबार और नन्कोव्री द्वीप समूह में आर्गेनिक कृषि पद्धतियों को सुनिश्चित किया जा सके। अधिसूचना की प्रति अनुलग्नक में दी गई है।

(ख): रासायनिक उर्वरकों या कीटनाशकों के विकल्प के रूप में, अंडमान और निकोबार प्रशासन ने जैव-कीटनाशक, जैव-उर्वरक, बीज और अन्य कृषि आदानों की खरीद की है। वर्तमान वित्त वर्ष के दौरान, 903 किलोग्राम जैव-उर्वरक, 1619 किलोग्राम जैव-कीटनाशक और 65 मीट्रिक टन रॉक फॉस्फेट की खरीद की गई है और इसे किसानों को बिक्री के लिए आबंटित किया गया है। इसके अलावा, वर्ष 2015-16 से 2024-25 तक, ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा देने के लिए, विस्तारित कार्यकर्ताओं के माध्यम से 135 प्रशिक्षण कार्यक्रम, 485 प्रदर्शनियां और 1936 अभियान आयोजित किए गए हैं।

(ग) और (घ): अंडमान और निकोबार प्रशासन ने सूचित किया है कि द्वीपों में कालाबाजारी की कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। इसके अलावा, राज्य सरकारें/संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन उर्वरक नियंत्रण आदेश, 1985 के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए सशक्त हैं।

*****

अनुलग्नक

दिनांक 20.12.2024 को दिए जाने वाले लोक सभा के अतारांकित प्रश्न सं.4280 के उत्तर के भाग (क) में उल्लिखित अनुलग्नक

अण्डमान तथा निकोबार राजपत्र
Andaman And Nicobar Gazette

असाधारण
EXTRAORDINARY
प्राधिकार से प्रकाशित
Published by Authority

सं. 13, पोर्ट ब्लेयर, बृहस्पतिवार, 21 जनवरी, 2021
No. 13, Port Blair, Thursday, January 21, 2021

ANDAMAN AND NICOBAR ADMINISTRATION
DIRECTORATE OF AGRICULTURE
PORT BLAIR

NOTIFICATION

Port Blair, dated the 21st January, 2021.

No. 13/2021/F. No. DA/PKVY/18-1/LAC/2020-21/167.— The Hon'ble Lt. Governor, Union Territory of Andaman and Nicobar Islands is pleased to impose a uniform ban on sale / use / entry / storage of all agro-chemicals for Agricultural Practices in Car Nicobar and Nancowrie group of Islands (Kamorta, Katchal, Teressa, Nancowrie & Chowra) with immediate effect with a broad vision to declare the above Islands as agro-chemical free zone in order to ensure that Agricultural Practices of Car Nicobar and Nancowrie group of Islands are organic. All the stakeholders, farmers and agriculture units should use only organic inputs which includes on-farm / off-farm organic inputs for agricultural practices in the above Islands.

This issue with the approval of Hon'ble Lt. Governor, Union Territory of Andaman and Nicobar Islands vides Sl. No. 04 dated 13/01/2021.

Sd./-
Director of Agriculture
A & N Administration